"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2010—पौष 3, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

क्रमांक ई-1-1/2010/एक/2.—श्री एम. के. त्यागी, भा.प्र.से. (सीजी:1997), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं मान. मुख्य मंत्री को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/36/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन, एतद्द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 08-10-2010 जिसके द्वारा श्री जी.पी. सिंह, भापुसे, संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर को दिनांक 25-10-2010 से 02-11-2010 तक कुल 09 दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई थी, को निरस्त करता है.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/37/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, संचालक, लोक अभियोजन, छ. ग. रायपुर को दिनांक 24-12-2010 से 28-12-2010 तक रांची झारखण्ड में आयोजित 55वें वरिष्ठ (पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रेको रोमन) एवं 13वें महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में मेम्बर ऑफ जूरी ऑफ अपील के रूप में भाग लेने हेतु दिनांक 24-12-2010 से दिनांक 28-12-2010 तक कुल 05 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम.डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, संचालक, लोक अभियोजन, छ. ग. रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम.डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 01-29/स्था./31/2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, श्री आर. सी. द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता, केलो बांध परियोजना मण्डल खरसिया को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ 02, वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों सहित, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना बिलासपुर (श्री सुबोध श्रीवास्तव मुख्य अभियंता की संविदा नियुक्ति समाप्त होने से रिक्त पद) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. सामान्य प्रशासन विभाग के जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-2011 अनुसार प्रकरण में मा. मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल अली, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ-17/2007/25-1/आजाक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. दीपक क्लाडियस, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर को, अन्य आदेश पर्यन्त, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पद पर कार्य करने हेतु आदेशित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-60/2007/16.—छत्तीसगढ़ कारखाना नियम, 1962 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार कारखाना अधिनियम, 1948 (क्रमांक 63 सन् 1948) की धारा 6 तथा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की उक्त धारा में अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी हेतु प्रकाशित करती है. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस प्रारूप पर यदि किसी भी संबंधित को आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति उप सचिव, श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन, कमरा नं. 290, मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित कर सकते हैं. प्राप्त आपत्तियों पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिवस के अवसान पर विचार किया जाएगा.

संशोधन

उक्त नियमों में—

नियम 6 में वर्तमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किये जाये, अर्थात्

अनुसूची "क"

अनुसूची "ख" तथा "ग" में विनिर्दिष्ट कारखानों के सिवाय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 ड (एक) में यथा परिभाषित कारखानों तथा धारा 85 के अधीन यथा अधिसूचित कारखानों के अनुज्ञप्ति के रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए देय शुल्क (रुपये) का मान :—

किसी भी दिन अधिष्ठापित अधिकतम अश्वशक्ति की मात्रा	धारा 85 के अधीन पंजीकृत 9 कर्मकार तक	वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या							
		10 से 20 तक	21 से 50 तक	51 से 100 तक	101 से 500 तक	501 से 1000 तक	1001 से 2000 तक	2001 से 5000 तक	5000 से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. शून्य से अधिक हो किन्तु 20 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	1,000	2,000	3,000	4,000	7,500	12,500	20,000	30,000	50,000
2. 20 से अधिक हो किन्तु 100 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	2,000	5,000	7,500	10,000	15,000	25,000	40,000	50,000	75,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. 100 से अधिक हो किन्तु 500 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	4,000	10,000	15,000	17,500	25,000	40,000	50,000	75,000	1,00,000
4. 500 से अधिक हो किन्तु 1000 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	6,000	15,000	20,000	25,000	40,000	50,000	75,000	1,00,000	2,00,000
5. 1000 से अधिक हो किन्तु 3000 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	17,500	20,000	30,000	35,000	50,000	75,000	1,00,000	2,00,000	3,00,000
6. 3000 से अधिक हो किन्तु 5000 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	30,000	35,000	40,000	45,000	75,000	1,00,000	2,00,000	3,00,000	5,00,000
7. 5000 से अधिक हो किन्तु 10000 अश्व-शक्ति से अधिक न हो.	35,000	40,000	50,000	75,000	1,00,000	2,00,000	3,00,000	5,00,000	10,00,000
8. 10000 से अधिक हो किन्तु 20000 अश्व-शक्ति से अधिक न हो.	40,000	50,000	75,000	1,00,000	2,00,000	3,00,000	5,00,000	10,00,000	15,00,000
9. 20000 से अधिक हो किन्तु 50000 अश्व-शक्ति से अधिक न हो.	45,000	60,000	1,00,000	2,00,000	3,00,000	5,00,000	10,00,000	15,00,000	20,00,000
10. 50000 से अधिक हो किन्तु 100000 अश्व-शक्ति से अधिक न हो.	50,000	1,00,000	2,00,000	3,00,000	5,00,000	10,00,000	15,00,000	20,00,000	30,00,000
11. 100000 अश्वशक्ति से अधिक हो.	1,00,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	10,00,000	20,00,000	30,00,000	40,00,000	50,00,000

अनुसूची "ख"

अनुसूची "क" तथा "ग" में विनिर्दिष्ट कारखानों के सिवाय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 ड (दो) में यथा परिभाषित कारखानों तथा धारा 85 के अधीन यथा अधिसूचित कारखानों को अनुज्ञप्ति के रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए देय शुल्क का मान :—

वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या (1)	देय शुल्क रुपये (2)
20 तक	600
21 से 50 तक	1,000

(1)	(2)
51 से 100 तक	1,800
101 से 250 तक	2,200
251 से 500 तक	4,400
501 से 1000 तक	11,000
1001 से 1500 तक	15,300
1501 से 2000 तक	17,000
2000 से अधिक	22,100

अनुसूची "ग"

समस्त विद्युत उत्पादन (रूपान्तरण केन्द्रों को सम्मिलित कर) कारखानों द्वारा अनुज्ञप्ति के रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के लिए देय शुल्क का मान :—

अनुक्रमांक	मेगावाट (एम. डब्ल्यू.) में कुल अधिष्ठापित क्षमता (रूपान्तरण केन्द्रों को सम्मिलित कर)	प्रस्तावित
(1)	(2)	(3)
1.	1 मेगावाट तक	5,000
2.	1 मेगावाट से अधिक 5 मेगावाट तक	10,000
3.	5 मेगावाट से अधिक 10 मेगावाट तक	20,000
4.	10 मेगावाट से अधिक 20 मेगावाट तक	30,000
5.	20 मेगावाट से अधिक किन्तु 50 मेगावाट तक	50,000
6.	50 मेगावाट से अधिक किन्तु 100 मेगावाट तक	75,000
7.	100 मेगावाट से अधिक किन्तु 250 मेगावाट तक	1,50,000
8.	250 मेगावाट से अधिक किन्तु 500 मेगावाट तक	3,00,000
9.	500 मेगावाट से अधिक किन्तु 1000 मेगावाट तक	5,00,000
10.	1000 मेगावाट से अधिक	7,00,000

अनुसूची "घ"

अनुसूची क, ख, ग के विनिर्दिष्ट ऐसे कारखानों के लिए जिन्हें राज्य शासन के आदेश द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 4 के अनुसार दो या अधिक कारखानों के उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक कारखाना माना जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये हों, उनके अनुज्ञप्ति रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के लिए देय शुल्क का मान :—

यह शुल्क वही होगा जो उन कारखानों द्वारा एकीकरण से पूर्व देय था

2. कारखानों के विभिन्न श्रेणी के लिए अनुसूची क, ख, ग, घ में विहित शुल्क 1 जनवरी 2011 से प्रभावशील होगी.

No. F 1-60/2007/16.—The following draft of amendments in the Chhattisgarh Factories Rules, 1962 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 6 & 112 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948) is published as required by said section of the said act, for information of all persons likely to be affected hereby. Notice is hereby given that all those affected may if they feel file an objetion to the proposed draft

to Dy. Secretary Labour, Govt. of Chhattisgarh, at room No. 290, Mantralaya Raipur. All such objections to the said draft will be taken into consideration on the expiry of fourty five days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

AMENDMENT

In the said rules—

For the Schedule in Rule 6, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE "A"

Scale of fee (in Rupees) payable for registration or renewal of the licence for Factories as may be defined in Section 2m (i) and as notified under Section 85 of the Factories Act, 1948 except the Factories specified in the Schedule "B", and "C".

Quantity of Maximum H.P. installed on any day	Registered under Section 85 upto 9 workers	Maximum number of workers to be employed on any day during the year							
		From 10 to 20	From 21 to 50	From 51 to 100	From 101 to 500	From 501 to 1000	From 1001 to 2000	From 2001 to 5000	More than 5000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. More then 0 but not more than 20 H.P.	1,000	2,000	3,000	4,000	7,500	12,500	20,000	30,000	50,000
2. More then 20 but not more than 100 H.P.	2,000	5,000	7,500	10,000	15,000	25,000	40,000	50,000	75,000
3. More then 100 but not more than 500 H.P.	4,000	10,000	15,000	17,500	25,000	40,000	50,000	75,000	1,00,000
4. More then 500 but not more than 1000 H.P.	6,000	15,000	20,000	25,000	40,000	50,000	75,000	1,00,000	2,00,000
5. More then 1000 but not more than 3000 H.P.	17,500	20,000	30,000	35,000	50,000	75,000	1,00,000	2,00,000	3,00,000
6. More then 3000 but not more than 5000 H.P.	30,000	35,000	40,000	45,000	75,000	1,00,000	2,00,000	3,00,000	5,00,000
7. More then 5000 but not more than 10000 H.P.	35,000	40,000	50,000	75,000	1,00,000	2,00,000	3,00,000	5,00,000	10,00,000
8. More then 10000 but not more than 20000 H.P.	40,000	50,000	75,000	1,00,000	2,00,000	3,00,000	5,00,000	10,00,000	15,00,000
9. More then 20000 but not more than 50000 H.P.	45,000	60,000	1,00,000	2,00,000	3,00,000	5,00,000	10,00,000	15,00,000	20,00,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10. More then 50000 but not more than 100000 H.P.	50,000	1,00,000	2,00,000	3,00,000	5,00,000	10,00,000	15,00,000	20,00,000	30,00,000
11. More than 100000 H.P.	1,00,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	10,00,000	20,00,000	30,00,000	40,00,000	50,00,000

SCHEDULE "B"

Scale of fee payable for registration or renewal of licence for Factories as may be defined Section 2m (ii) of the Factories Act, 1948 except the Factories specified in the Schedule "A" and "C".

Maximum number of workers to be employed on any day during the year (1)	Fee payble in Rupees (2)
upto 20	600
From 21 to 50	1,000
From 51 to 100	1,800
From 101 to 250	2,200
From 251 to 500	4,400
From 501 to 1000	11,000
From 1001 to 1500	15,300
From 1501 to 2000	17,000
More than 2000	22,100

SCHEDULE "C"

Scale of fee payable for registration or renewal of licence by all electricity generating (including Transforming Stations) Factories.

Sl. No. (1)	Total Installed capacity (including transformation station) in M.W. (2)	Fee Rs. (3)
1.	Upto 1 M.W.	5,000
2.	More than 1 M.W. up to 5 M.W.	10,000
3.	More than 5 M.W. up to 10 M.W.	20,000
4.	More than 10 M.W. up to 20 M.W.	30,000
5.	More than 20 M.W. up to 50 M.W.	50,000
6.	More than 50 M.W. up to 100 M.W.	75,000
7.	More than 100 M.W. up to 250 M.W.	1,50,000
8.	More than 250 M.W. up to 500 M.W.	3,00,000
9.	More than 500 M.W. up to 1000 M.W.	5,00,000
10.	More than 1000 M.W.	7,00,000

SCHEDULE "D"

Scale of fee payable for registration or renewal of licence in case of two or more Factories specified in Schedule A, B & C which are directed by an order by the State Government under provisions of section 4 of the Factories Act 1948, to be treated as single Factory for the purpose of the said Act.

The fee will be same as it was payable before merger of different Factories

(2) The fee prescribed in Schedules A, B, C, D for different categories of Factories shall come into force from 1st January, 2011.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 8-1/2010/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, कबीरधाम, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, दंतेवाड़ा एवं कोरिया में नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन 2010 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 21-12-2010 (मंगलवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त जिलों के निम्नांकित नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत) में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखानें जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखाने निरन्तर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

स. क्र. (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय (3)
1.	दुर्ग	नगर पालिका निगम, भिलाई नगरपालिका परिषद्, भिलाई चरौदा नगरपालिका परिषद्, जामुल नगर पंचायत, मारो नगर पंचायत चिखलाकसा के रिक्त वार्ड क्रमांक 1, 14 तथा 15 नगरपालिका परिषद्, दल्लीराजहरा, रिक्त वार्ड क्रमांक-07
2.	रायपुर	नगर पंचायत परिषद्, बीरगांव
3.	राजनांदगांव	नगरपालिका परिषद्, खैरागढ़
4.	बीजापुर	नगर पंचायत, भैरामगढ़ नगर पंचायत, भोपालपट्टनम् नगर पंचायत, बीजापुर के रिक्त वार्ड क्रमांक-12
5.	कबीरधाम	नगर पंचायत, पंडरिया रिक्त वार्ड क्रमांक 04
6.	बस्तर	नगर पंचायत, बस्तर रिक्त वार्ड क्रमांक 12 नगर पंचायत, विश्रामपुरी

(1)	(2)	(3)
7.	सरगुजा	नगर पंचायत, प्रेमनगर
8.	कांकेर	नगर पंचायत, नरहरपुर
9.	दंतेवाड़ा	नगर पंचायत, कोंटा
10.	कोरिया	नगरपालिका परिषद्, शिवपुरचरचा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वस्तिक, अवर सचिव.

पशुधन विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-17/09/35/स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती के तरीके तथा विस्तार के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**
   (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ पशुपालन एवं डेयरी विकास चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2009" कहलायेंगे.
   (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना :—** ये नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि :—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती का तरीका, आयु सीमा और अन्य विषय अनुसूची के कॉलम (3) से (12) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होंगे.

4. **आरक्षण :—**
   (1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सीधी भर्ती के पदों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार आरक्षण रहेगा.
   (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.
   (3) महिलाओं के लिए आरक्षण,— महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा एवं पदों में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

5. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी की, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के कुटुम्ब के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, आरक्षण तथा शिथिलीकरण को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या नियमों के अनुसार विनियमित होगी.

6. **निरसन तथा व्यावृत्ति :—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा, निरसित किये जाते हैं.

   परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

अनुसूची

सीधी भरती हेतु

स. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान		भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	आयु सीमा न्यूनतम/अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा परीक्षण की कालावधि यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिये विहित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा भरती की जाने की दशा में पद जिनसे पदोन्नति स्थानांतरण किया जायेगा	सीधी भरती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति	टिप्पणियां
				वेतन बैंड	ग्रेड वेतन								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	भृत्य	10	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	100% सीधी भर्ती द्वारा	18-35	5 वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कॉलम क्र. 7 से 9 तक	-	चतुर्थ श्रेणी के समस्त पदों के लिए ; 1. संचालक, पशुपालन—अध्यक्ष एवं डेयरी 2. उप दुग्ध आयुक्त, —सदस्य डेयरी विकास विभाग. सदस्य के नामांकित न होने की दशा में संचालक, उपयुक्त अधिकारियों का नाम नामांकित करेंगे.	-
2.	डेयरी परिचारक	40	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	100% सीधी भर्ती द्वारा	18-35	5 वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कॉलम क्र. 7 से 9 तक	5 वर्ष निरंतर सेवा		-
3.	चौकीदार	04	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-		-

Raipur, the 21st September 2010

No. F 1-17/09/35/Estt.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules regulate the method and scope of recruitment to the Class-IV service in Chhattisgarh Animal Husbandry and Dairy Development Department, namely :-

RULES

1. **Short Title and Commencement —**
   (1) These rules may be called Chhattisgarh Animal Husbandry and Dairy Development Department Class-IV Services Recruitment Rules, 2009.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification and Scale of Pay, etc.—** The classification of the service, the number of posts included in the service, and the scale of pay attached thereto, method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with the provisions contained in column (3) to (12) of the Schedule.

4. **Reserveation.—**
   (1) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994)

   (2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003.

   (3) Reservation for women.— Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women in Public Service and Posts) Rules, 1997.

5. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation and relaxation provided for the Schedule Castes, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, for Ex-serviceman, compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal and Saving.—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB KHESS, Deputy Secretary.

SCHEDULE

For Direct Recruitment

S. No.	Name of post	Number of post	Classi-fication	Scale of pay		Mthod of recruitment percentage of vacant posts to be filled by direct recruitment or by promotion or by transfer and by different methods	Age limit Minimum/ Maximum	Pres-cribed Edu-cational quali-fication	period of probation Trial if any	Whether in the case of promotion prescribed limit age and educational qualification on to the direct recruitment will be apply	In case of recruitment by promotion of transfer post from which promotion transfer will be made	Selection committee for direct recruitment and promotion	Remarks
				Pay Band	Grade Pay								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Peon	10	Class-IV	4750-7440	1300	100% by Direct Recruitment	18 to 35	5th Pass	2 year	Column No. 7 to 9	-	For all the post of Class-IV category; 1. Director, Animal and Dairy. —Chairman 2. Deputy Milk Commissioner, Dairy Development Department. —Member In case if a member is not nominated then the Director shall nominate the names of the suitable officers.	-
2.	Dairy Attendant	40	-do-	-do-	-do-	100% by Direct Recruitment	18 to 35	5th Pass	2 year	Column No. 7 to 9	5 year Continuous		-
3.	Watchman	04	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-		-

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	छोटेअलनार	1.330	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई योजना अन्तर्गत अलनार माइनर नहर क्रमांक-01 एवं 02 के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	चमिया	2.346	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई योजना अन्तर्गत सिवनी वितरक नहर एवं अलनार माइनर नहर क्रमांक-03 के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक/17391/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सेरो, प.ह.नं. 9	134.807	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक/17395/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बोड़ासागर प.ह.नं. 9	95.310	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेशचंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सराईपाली प. ह. नं. 14	2.538	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-बोदरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	404/4	0.16
योग	1	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आर.ओ.बी. चकरभाटा के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 3rd December 2010

No. 331/L.G./2010/II-2-9/2008.—Shri A. K. Samant Ray, Judge, Family Court, Manendragarh, Koria is hereby, granted earned leave for one day on 01-01-2011 and permission to prefix winter vacation for 05 days from 27-12-2010 to 31-12-2010 & suffix holiday of 02-01-2011 (Sunday) along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Samant, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+08 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 4th December 2010

No. 332/L.G./2010/II-3-20/2007.—Shri Shivmangal Pandey, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 05 days from 06-12-2010 to 10-12-2010 along with permission to leave headquarters.

During the period of said earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pandey, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+07 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 4th December 2010

No. 333/L.G./2010/II-2-22/2001.—Smt. Maitreyi Mathur, Judge, Family Court, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 06 days from 27-12-2010 to 01-01-2011 and permission to prefix holidays of 25th & 26th December, 2010 (Chritsmas & Sunday) and suffix holiday of 02-01-2011 (Sunday) along with permission to remain out of headquarters from the evening of 24-12-2010 till the morning of 03-01-2011.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Mathur, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 61 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.